न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/59/2024	2024/144	14.06.2024	06.08.2024

1. गोविन्द सहाय पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण
2. कैलाश पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बसेठ तह0 कठूमर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामोतार पुत्र श्री सूरज ब्राह्मण
2. धारासिंह पुत्र सुखचन्दी जाटव
3. बदनलाल पुत्र भजनलाल जाटव निवासीयान ग्राम बसेठ तह0 कठूमर, अलवर राज0।
4. उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर राज0।

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील प्रार्थीगण
02—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अप्रार्थीगण 1 लगा0 3

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के प्रकरण बउनवान गोविन्द सहाय व अन्य वादीगण बनाम रामोतार व अन्य को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 19.06.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधि0 मुकदमा बअनुवान गोविन्द सहाय व अन्य वादीगण बनाम रामोतार व अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/68/2021 प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय एवं डिक्री दि0 04.04.2021 को पारित की जा चुकी है। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किये गये हैं, जिसमें आगामी ता0पेशी दि0 19.06.2024 नियत है। अप्रार्थीगण सं0 1 ला. 3 द्वारा उक्त वाद प्रा0 पत्र गलत व झूठे तथ्यों से विधि विरूद्ध पेश किया गया। उक्त अप्रार्थीगण सं0 1 ला. 3 प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण सं0 1 ला. 3 से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के कहे अनुसार जल्दी—जल्दी तारीख पेशी नियत कर रहे हैं तथा उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में दि0 27.05.2024 की तारीख पेशी नियत की गई उसके उपरान्त दि0 29.05.2024 की एवं उसके उपरांत दि0 31.05.2024 तथा दि0 31.05.2024 से आ0ता0पेशी 06.06.2024 नियत की और दि0 06.06.2024 से आ0ता0पेशी दि0 19.06.2024 नियत की गई है। वादी अप्रार्थीगण सं0 1 ला. 3 ने भी एलानिया तौर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा हमने उनसे बातचीत कर ली है और शीघ्र ही वो वाद स्वीकार करके रहेंगे। पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि उन पर वादी अप्रार्थीगण सं0 1 ला 3 का दबाव है जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी उसके विरूद्ध निर्णय पारित करेंगे। जिस स्थिति में यह मुन्तकिली प्रा0पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमा उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन है जिससे प्रा0पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को मूल

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

वाद बअनुवान गोविन्द सहाय व अन्य वादीगण बनाम रामोतार व अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/68/2021 निर्णय एवं डिक्री दि0 04.04.2024 के साथ पत्रावली में रखे गये हैं। इसलिए उक्त मूल वाद को मुंतकिल कराने हेतु यह प्रा0पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में विचाराधीन मु0 बअनुवान गोविन्द सहाय व अन्य बनाम रामोतार व अन्य राजस्व वाद सं0 1/68/2021 निर्णय एवं डिक्री दि0 04.04.2021 जिसमें प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में आ0ता0 पेशी दि0 19.06.2024 नियत की गई है, को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने लिखित बहस निवेदन किया कि प्रा0 पत्र का जिमन नं0 1 में यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधि0 मुकदमा बअनुवान गोविन्द सहाय व अन्य वादीगण बनाम रामोतार व अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/68/2021 प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय एवं डिक्री दि0 04.04.2021 को पारित की जा चुकी है। प्रा0 पत्र का जिमन नं0 2 में इतना सही है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने हेतु प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किये गये हैं। प्रा0पत्र का जिमन 3 गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 द्वारा उक्त वाद प्रा0पत्र गलत व झूठे तथ्यों से विधिविरूद्ध पेश किया गया। यहां यह भी निवेदन है कि अप्रार्थीगण ने वाद पेश नहीं किया, बल्कि वादीगण ने वाद पेश किया है। यह भी गलत है कि अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है और पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 से साज बाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 सीधे सादे व कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी को किसी प्रकार अपने प्रभाव में नहीं लिया हुआ है। प्रा0पत्र का जिमन 5 गलत है, स्वीकार नहीं। जिमन में तथ्य मनमाने व मिथ्या दर्ज किये हैं। अप्रार्थीगण ने कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी है। प्रा0पत्र का जिमन 6 गलत है, स्वीकार नहीं। पीठासीन अधिकारी ने अपनी कोई राय स्पष्ट नहीं की है। प्रा0पत्र का जिमन 8 जिस कदर बयान किया है, सही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पर अभी पक्षकारान की बहस भी नहीं सुनी गई है और ना ही प्रकरण आदेश में है। इस वजह से मुन्तकिल प्रा0पत्र केवल प्रकरण को लम्बा करने व पक्षकार को परेशान करने की गर्ज से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रा0पत्र मुंतकिल किये जाने मुकदमा मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर अप्रार्थीगण को बेजा तंग व परेशान करने की गर्ज से पेश किया है। अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 सीधे सादे व कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी को किसी प्रकार से अपने प्रभाव में नहीं लिया हुआ है। पीठासीन अधिकारी नियमानुसार व विधि अनुसार निष्पक्ष कार्यवाही कर रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पर अभी पक्षकारान की बहस भी नहीं सुनी गई है और प्रारंभिक अवस्था में है। अतः जवाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा0 पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि जिम्मन नं0 1 स्वीकार है, कानूनी है। जिम्मन नं0 2 स्वीकार है। जिम्मन नं0 3 अस्वीकार है, गलत एवं झूठा है। जिम्मन नं0 4 स्वीकार है, कानूनी है। जिम्मन नं0 5 अस्वीकार है, जो मनगढंत गलत एवं झूठा है। जिम्मन नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा मनगढ़ंत, असत्य तथ्य अंकित किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी/न्यायालय का किसी भी पक्षकार से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। जिम्मन नं0 7 स्वीकार है, कानूनी है। जिम्मन नं0 8 अस्वीकार है। जिम्मन नं0 9 स्वीकार है। जिम्मन नं0 10 कानूनी है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत है, फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)